


क्रि.सं.

147/2022 सरदार बनारस भागिदेवी

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

क्र.सं.	दिनांक या कार्यवाही	व्यक्ति का नाम	दिनांक
	147/2022	<p>पत्रावली आजमगामा देवी श्री सुनारजी आवना पत्र पर तलब की गई। वकील उषा को सुना गया तो वकील उषा ने दिनांक 14.2.2023 को मृत्यु के निवेदन दिए कि विरासत का नामांतरण खोले जाने हेतु स्वगत कोदेश दिनांक 13.7.2022 में छूट प्रदान की गई। भद्राणी को सुनाया पत्रावली का प्रत्येक विपणन भागिदेवी उषा संख्या 01 का स्वगतवास सन 2012 में हो जाने के कारण विरासत का नामांतरण नहीं खुल पाया है। मरु: भागिदेवी उषा व स्वगत कोदेश में छूट प्रदान की गई ताकि वाद्यग्रह भूमि को उपयोग उपभोग करे। मरु: भद्राणी को सुनाया पत्रावली का भ्रवलापन विपणन तो उषा संख्या 01 का स्वगतवास सन 2012 में होने हेतु स्वगत आवना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश विपणन है जो सारहीन होने के कारण आवना पत्र उषा का IS/CPC का स्वीकार कर स्वगत कोदेश के विपणन विपणन उचित समझे है। मरु: उषा पत्र IS/CPC का स्वीकार विपणन स्वगत कोदेश दिनांक 13.7.2022 को खारिज विपणन है। स्वगत कोदेश खारिज दिए जाने से उषा निपणन गलत भूमि का उपयोग उपभोग करने हेतु स्वगत रहेगी। पत्रावली का तलब जारी रखे।</p>	


 उपखण्ड अधिकारी
 उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)